UPVR010057702026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी प्रथम वाराणसी।

पीठासीन अधिकारी-कुलदीप सिंह-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1904 सन् 2026

नीलेश कुमार यादव पुत्र माधव यादव निवासी ग्राम कुम्भापुर थाना-बड़ागांव वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उ०प्र० **.....अभियोजन पक्ष।**

मु.अ.सं.-43/2026
अंतर्गत धारा-60,63,72 उ.प्र. उत्पाद शुल्क आबकारी अधि0 थाना-बड़ागांव, वाराणसी।

आदेश

1- आवेदक/अभियुक्त नीलेश कुमार यादव पुत्र माधव यादव की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व न तो किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है ना ही आवेदक/अभियुक्त का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आवेदक/अभियुक्त को मुकदमा अपराध संख्या उपरोक्त में असत्य कथानक के आधार पर महज परेशान व तंग करने की गरज से साजिशन नामांकित किया गया है जबकि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। अभियोजन कथानक में रंचमात्र भी सत्यता नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में सह अभियुक्त शिवशंकर सेठ कि अग्रिम जमानत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी प्रथम के न्यायालय से दिनांक 18.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक पूर्व के मुकदमों में जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानत का मुचलका दाखिल करने को तत्पर एवं तैयार है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3- अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त पर गंभीर आरोप है तथा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।

4- मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5- वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा द्वारा मु.अ.सं.-431/2026 अंतर्गत धारा-60,63,72 उ.प्र. उत्पाद शुल्क आबकारी अधि0 थाना बड़ागांव वाराणसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसमें आवेदक/अभियुक्त पर काली रंग की महिन्द्रा स्कार्पियों से 65 पेटी विभिन्न ब्रांड की अवैध अग्रेजी शराब तस्करी करने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से फरार होना कहा गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त के विषय में जो आपराधिक केसो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया

Digitally signed by Kuldeep Singh II
Date: 2026.07.04 16:16:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है। उसमें आवेदक/अभियुक्त की कितने मामलों में दोषसिद्धि हुयी है, इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में हो चुकी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने का आधार प्रर्याप्त है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6- आवेदक/अभियुक्त नीलेश कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं. 1904/2026, मु.अ.सं. 43/26 अंतर्गत धारा-60,63,72 उ.प्र. उत्पाद शुल्क आबकारी अधि0 थाना बड़ागांव वाराणसी के मामले में मु० 50,000/- रूपये की एक प्रतिभू व समान धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाता है।

आवेदक/अभियुक्त इस आशय का भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि-

i. आवेदक/अभियुक्त विवेचना में पुलिस को सहयोग प्रदान करेगा व पुलिस के बुलाने पर उनके समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित होगा।

ii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई धमकी, वचन या लालच ऐसे व्यक्ति को नहीं देगा जो प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ हो जिससे कि उसे न्यायालय के समक्ष या पुलिस अधिकारियों के समक्ष सही तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके।

iii. आवेदक/अभियुक्त सक्षम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त किये बिना भारत देश नहीं छोड़ेगा।

दिनांक-04.07.2026

(कुलदीप सिंह-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
द्रुतगामी प्रथम, वाराणसी।
जे.ओ कोड-यू.पी 1818

अमन कुमार चौहान
(आशुलिपिक)